न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 59/2021 दायर दिनांकः 12/03/2021

उनवान

1. अनुसुईया बाई आयु 56 वर्ष पत्नी स्व0 रमेशचन्द पुत्री मोतीलाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट एवं
धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

आदेश दिनाकः 27/09/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादिया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 208 का ख0नं0 282 का रकबा 2.25 है0 एवं ख0नं0 285 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 की 4.28 है0 आराजी वादिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादिया का 1/18 हिस्सा दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। इसी प्रकार मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम व माल मेरमालालाब तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 93 ख0नं0 361 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 395 रकबा 0.1[illegible] है0, [illegible]नं0 64 का रकबा 2.37 है कुल किता 3 की 2.52 है0 आराजी वादिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हे। जिसमें वादिया का हिस्सा 1/12 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम व माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 208 में प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादिया का नाम हंसराज बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:11 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी स्व0 रमेशचन्द एवं वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी ग्राम व माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 93 की भूमि में वादिया का नाम हंसराजबाई पुत्री मोतीलाल सहवन से दर्ज कर दिया गया। जो कि दोनों खातों में गलत दर्ज है। जबकि वादिया का वास्तविक नाम अनुसुईया बाई पत्नी स्व0 रमेशचन्द पुत्री मोतीलाल है। वादिया को गांव में दो नामों से जाना जाता था जिसमें एक नाम हंसराजबाई भी है। इसी वजह से सहवन से वादिया का नाम अपने पीहर ग्राम मेरमातालाब की नकल जमाबन्दी में फोती इंतकाल खोलते समय हंसराजबाई पुत्री मोतीलाल दर्ज हो गया है और इसी प्रकार उसकी शादी ग्राम खुरी में रमेशचन्द के साथ हुई थी इसलिए उसमें भी सहवन से वादिया का नाम ग्राम व माल खुरी की नकल जमाबन्दी में हंसराजबाई पत्नी स्व0 रमेशचन्द दर्ज हो गया हैं ग्राम पंचायत भैसडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादिया के दो नाम हंसराजबाई व अनुसूईयाबाई दो नाम बताये गये है जिससे स्पष्ट है कि वादिया का बोलचाल की भाषा में प्रेम से हंसराजबाई भी कहा जाता है। वादिया का नाम आधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र पेशन पी.पी.ओ. आदि रिकार्ड में अनुसूईयाबाई पत्नी स्व0 रमेशचन्द पुत्री मोतीलाल दर्ज है। जो उसका वास्तविक नाम है। इन सभी दस्तावेजात के आधार पर वादिया खाते में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के पास गये तो उनने इंकार करते हुये माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। इस कारण यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 23.02.2021 को वादिया द्वारा अपने रिकार्डेड दस्तावेजात, बैंक डायरी पेशन पी.पी.ओ. परिचय पत्र, राशन कार्ड व ग्राम पंचायत भैसडा द्वारा जारी प्रमाण के आधार पर प्रतिवादी के पास वादिया अपना नाम दुरूस्त करवाने गई जिस पर प्रतिवादी ने खाते में नाम दुरूस्त करने से इंकार करते हुये माननीय न्रूायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम प्रथम व अंतिम बार माननीय न्यायालय में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से एवं वाद घोषणा व नाम दुरूस्ती का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में [illegible] बनाया गया है। जिन्हे धारा 80 सी. पी.सी. का मियदी 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस [illegible] दिया गया है। परन्तु नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो वादिया को [illegible] स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्राप्त चले आ रहे हक [illegible]धिकारों व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पडेगा जिससे अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। इसलिए धारा 80 '2' सी.पी.सी. के पृथक से प्रार्थना पत्र के साथ यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल खुरी व मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादिया का नाम खाते में ग्राम व माल खुरी की खाता संख्या 208 में हंसराज बाई पत्नी स्व0 रमेशचन्द व खाता सं0 93 मेरमातालाब में हंसराज बाई पुत्री मोतीलाल को दुरूस्त करते हुये उसके स्थान पर अनुसूईया पत्नी स्व0 रमेशचन्द्र पुत्री मोतीलाल की घोषणा की जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अवादियाकी तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1 pw 2** का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड प्रदर्शित कराया गया।

अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादिया का नाम खाते में ग्राम व माल खुरी की खाता संख्या 208 में हंसराज बाई पत्नी स्व0 रमेशचन्द व खाता सं0 93 मेरमातालाब में हंसराज बाई पुत्री मोतीलाल को दुरूस्त करते हुये उसके स्थान पर अनुसूईया पत्नी स्व0 रमेशचन्द्र पुत्री मोतीलाल की घोषणा की जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:11 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 208 का ख0नं0 282 का रकबा 2.25 है0 एवं ख0नं0 285 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 की 4.28 है0 में वादिया

का नाम सहखातेदार के रूप में हंसराजबाई पत्नि स्व0 रमेशचन्द हिस्सा 1/18 दर्ज रिकार्ड है। तथा मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम व माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 93 ख0नं0 361 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 395 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 64 का रकबा 2.37 है कुल किता 3 की 2.52 है0 में वादिया का नाम सहखातेदार के रूप में हंसराजबाई पुत्री मोतीलाल हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड में वादिया का नाम अनुसुईया बाई पत्नी रमेश चन्द दर्ज है तथा कार्यालय ग्राम पंचायत भैंसडा के प्रमाण पत्र दिनांक 23.02.2021 के अनुसार हंसराजबाई व अनुसुईया बाई दानों नाम एक ही महिला के है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादिया का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादियाका प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 208 का ख0नं0 282 का रकबा 2.25 है0 एवं ख0नं0 285 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 की 4.28 है0 तथा ग्राम व माल मेरमातालाब तहसील अटरू में खाता संख्या 93 ख0नं0 361 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 395 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 64 का रकबा 2.37 है कुल किता 3 की 2.52 है0 में सहखातेदार हंसराजबाई के स्थान पर हंसराजबाई उर्फ अनुसुईया बाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:11 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 80 / 2020

उनवान

1. मोनिका आयु 20 वर्ष पुत्री नन्दलाल जाति खटीक निवासी खेड़लीगंज अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0
, नाम दुरस्ती एवं बालिग दर्ज करने बाबत

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....**X**................. रूबरू...............**X**...............................

बहाजिर :–

वादियाः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....**X**..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खेडली बांसला के खाता संख्या 130 किता 3 रकबा 0.76 है0 में सहखातेदार अन्तिमा पुत्री नन्दलाल के स्थान पर मोनिका उर्फ अन्तिमा पुत्री नन्दलाल व नाबालिग से बालिग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....**X**...................... मुबालिक ....**X**................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......**X**........................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....**X**........................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26 / 08 / 2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प [illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:11 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

सेवा में

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,

जिला बारां राज0।

जरिये– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय , अटरू।

विषय– **REET** भर्ती परीक्षा में शामील होने की स्वीकृति चाहने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अटरू में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूॅं। में दिनांक **26.09.2021** को आयोजित होने वाली **REET** भर्ती परीक्षा देना चाहता हूॅं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे **REET** भर्ती परीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी

नाम– दिनेश कुमार

क.स. उपखण्ड कार्यालय अटरू

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां राज0

क्रमांक / स्थापना / 2021 / दिनांक 22.09.2021

मूल ही श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां